

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2784

जिसका उत्तर 20 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है।

29 अग्रहायण, 1945 (शक)

आधार संख्या जारी करना

2784. श्री विनोद लखमशी चावड़ा:

श्री संजय सेठ:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में विशेषकर गुजरात में यूआईडीएआई द्वारा अभी तक कितने लोगों को आधार नंबर जारी किया जाना शेष है;
- (ख) गुजरात में विशेष रूप से कच्छ लोक सभा निर्वाचल क्षेत्र के जिलों में इन लोगों को आधार के दायरे में लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और इस संबंध में प्राप्त परिणाम का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या बिना हाथ वाले या अस्पष्ट उंगलियों के निशान वाले नागरिकों का कोई आंकड़ा है, जिन्हें अभी तक आधार नंबर जारी नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) बिना हाथ या अस्पष्ट उंगलियों के निशान वाले लोगों को आधार नंबर जारी करने के लिए किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा उन पंजीकृत लोगों के लिए आधार कार्ड के लिए क्या प्रावधान किया गया है जिनके हाथ नहीं हैं कुछ रोग या ऐसी किसी बीमारी के कारण जिनकी उंगुलियों के निशान अस्पष्ट हो गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क): भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण भारत के सभी निवासियों को डिजिटल पहचान (आधार) और डिजिटल पहचान प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करता है। आधार (वित्तीय और अन्य सर्विसिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 3 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक निवासी और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) अपेक्षित जानकारी जमा करके और नामांकन प्रक्रिया से गुजरकर आधार संख्या प्राप्त करने का हकदार है। तदनुसार, प्रत्येक निवासी और एनआरआई जो आधार संख्या प्राप्त करने के इच्छुक हैं और जो अपेक्षित जानकारी जमा करके नामांकन प्रक्रिया से गुजरते हैं, उन्हें आधार संख्या जारी की जाती है। 30.11.2023 की स्थिति के अनुसार अनुमानित मौतों के समायोजन के बाद समस्त भारत में जीवित आधार संख्याधारकों की अनुमानित संख्या 131.21 करोड़ है, जिसमें गुजरात राज्य में नामांकित 6.57 करोड़ शामिल हैं।

(ख): 30.11.2023 की स्थिति के अनुसार, गुजरात राज्य में 3,187 केंद्रों सहित समस्त भारत में 60,957 से अधिक आधार केंद्र चालू थे। इसके अलावा, डाकिया, अस्पताल के कर्मचारियों आदि द्वारा संचालित लगभग 27,718 हैंडहेल्ड टैबलेट (गुजरात राज्य में 1,111 सहित) के माध्यम से पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के नामांकन की सुविधा उपलब्ध थी। कच्छ और मोरबी जिलों, जिनमें कच्छ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं, में उपलब्ध ऐसे केंद्रों और टैबलेट का विवरण निम्नानुसार है:

जिला	सक्रिय आधार केंद्र	सक्रिय हैंडहेल्ड टैबलेट	कुल
------	--------------------	-------------------------	-----

कच्छ	91	45	136
मोरबी	59	29	88

केंद्रों पर नामांकन के अलावा और उपर्युक्त हैं डहेल्ड टैबलेट के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)

आधार नामांकन के लिए उन के द्वारा अधिकृत/मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रारों के माध्यम से नामांकन शिविरों का आयोजन करता है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कच्छ और मोरबी जिलों में आयोजित क्रमशः 1,853 और 639 ऐसे शिविरों में 78,902 से अधिक आवेदकों को सेवाएं प्रदान की गईं।

(ग) से

(ड): लाभों और सेवाओं तक डिजिटल रूप से सक्षम पहुंच सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप यूआईडीएआई ने अपने विनियमों में विशेष प्रावधान किए हैं और दिनांक 1.8.2014

को बायोमेट्रिक अपवादन नामांकन दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनकी उंगलियां गायब हैं, जिसमें उन व्यक्तियों के नामांकन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिनकी उंगलियों को किसी कारण से कैप्चर नहीं किया जा सकता है (जैसे कटना, बुढ़ापे या कुष्ठ रोग के कारण चोट, खरोच, पट्टी, घिसी-पिटी या मुड़ी हुई उंगलियां), या जिनके आईरिस या दोनों उंगलियों और आंखों के बायोमेट्रिक्स को किसी भी कारण से कैप्चर नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति जो आधार के लिए पात्र है, लेकिन उंगलियों के निशान प्रदान करने में असमर्थ है, केवल आईरिस स्कैन का उपयोग करके नामांकन कर सकता है। इसी तरह, एक पात्र व्यक्ति जिसके आईरिस के बायोमेट्रिक्स को किसी भी कारण से कैप्चर नहीं किया जा सकता है, वह केवल अपने फिंगरप्रिंट का उपयोग करके नामांकन कर सकता है। इसके अलावा, एक पात्र व्यक्ति जो उंगली और आईरिस बायोमेट्रिक्स दोनों प्रदान करने में असमर्थ है, दोनों में से किसी को भी प्रस्तुत किए बिना नामांकन कर सकता है।

ऐसे व्यक्तियों के लिए बायोमेट्रिक अपवादन नामांकन दिशानिर्देशों के तहत नाम, लिंग, पता और जन्म तिथि/वर्ष को उपलब्ध बायोमेट्रिक्स के साथ दर्ज किया जाना है,

नामांकन सॉफ्टवेयर में लापता लोगों को उजागर करते समय उंगलियों या आईरिस (ओं) या दोनों की अनुपलब्धता को उजागर करने के लिए दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट तरीके से एक तस्वीर ली जाएगी और आधार नामांकन केंद्र के पर्यवेक्षक को इस तरह के नामांकन को एक असाधारण नामांकन के रूप में मान्य किया जाएगा। इस प्रकार, प्रत्येक पात्र व्यक्ति जो अपेक्षित जानकारी जमा करके नामांकन प्रक्रिया से गुजरता है, उसे आधार संख्या जारी की जा सकती है, भले ही बायोमेट्रिक्स प्रदान करने में कोई असमर्थता हो।

यूआईडीएआई ने नामांकन रजिस्ट्रारों और एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए एक सलाह भी जारी की है कि सभी आधार नामांकन ऑपरेटर असाधारण नामांकन प्रक्रिया से अवगत हैं, इसका पालन करते हैं और ऐसे नामांकन से गुजरने वाले व्यक्तियों को आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं।

अब तक, यूआईडीएआई ने लगभग 29 लाख लोगों को आधार नंबर जारी किए हैं, जिनकी उंगलियां गायब थीं या अन्यथा उंगली या आईरिस या दोनों बायोमेट्रिक्स प्रदान करने में असमर्थ थे।